साराहनीय कार्य-जनपद बस्ती

दिनांक 27-10-2026

थाना हरैया व सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा नकबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने व चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल तथा चोरी के कुल 22,200/-रुपया किया गया बरामद-

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देश के क्रम में नकबजनी/चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे 10 दिवसीय विशेष अभियान के तहत दिनांक 26.10.2026 को थाना हरैया पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 304/2026 धारा 305(a),331(4) BNS व मु0अ0सं0 238/26 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित माल व अभियुक्तों की तलाश व संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग निपनिया मोड पर की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 02 व्यक्ति आ रहे थे जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से सफेद धातु के आभूषण लगभग 800 ग्राम, एक अदद नाक की कील पीली धातु तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद चोरी की मोटर साइकिल तथा चोरी के कुल ₹22,200/-नकद बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित मु0अ0सं0 304/2026 धारा 305(a),331(4) BNS थाना हर्रैया में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी कर, गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

01-बृजेश कुमार पुत्र चन्द्र प्रकाश राजभर निवासी गोसाईजोत थाना नगर जनपद बस्ती।
02-अमन गौतम पुत्र अजय कुमार गौतम निवासी ग्राम रमया थाना हरैया जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

01-सफेद धातु के लगभग 800 ग्राम वजन के आभूषण
02-एक अदद नाक की कील पीली धातु,
03-घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल(हीरो स्पलेन्डर प्लस) तथा चोरी के कुल ₹22,200/-नकद ।

अनावरित अभियोगों एवं थाने का विवरण-

01- मु0अ0सं0 304/26 धारा 305(a),331(4) BNS थाना हरैया जनपद बस्ती।
02- मु0अ0सं0 238/26 धारा 303(2) BNS थाना हरैया जनपद बस्ती।
03-मु0अ0सं0-235/2026 धारा-303(2) BNS थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
04-मु0अ0सं0-233/2026 धारा-305(a) BNS थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
05-मु0अ0सं0-273/2026 धारा-305(a) BNS थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
06-मु0अ0सं0-284/2026 धारा-303(2) BNS थाना नगर जनपद बस्ती। ।

अभियुक्त बृजेश कुमार का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0-270/2023 धारा 379,411 भा0द0वी0 व 8/20 NDPS ACT थाना हरैया जनपद बस्ती।
02-मु0अ0सं0-250/2023 धारा 379,411 भा0द0वी व 8/20 NDPS ACT थाना हरैया जनपद बस्ती।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वे दोनो नशे के आदी है तथा अपने नशे की पुर्ति हेतु व महंगे शौक पूरे करने के लिए रेकी करके चोरियां करते हैं और चोरी का माल हाईवे पर ट्रक चालकों को औने-पौने दामों में बेच देते हैं। उनके द्वारा स्वीकार की गई घटनाओं में 04 दिन पूर्व खैरी ओझा गांव में बुजुर्ग महिला के तकिये के नीचे से चाबी निकालकर कमरे के बक्से से चांदी के 2 जोड़े पायल, 3 सिक्के, सोने की कील व ₹5000 चुराना व 26.09.2026 को सल्टौआ (थाना वाल्टरगंज) में निर्माणाधीन मकान का शटर काटकर जनरेटर अल्टरनेटर व ग्राइंडर चुराकर बेचना तथा दिनांक 28.09.2026 को पोखरभिटवा (थाना वाल्टरगंज) पंचायत भवन का ताला तोड़कर कंप्यूटर, प्रिंटर, डीवीआर व सोलर पैनल चुराकर ट्रक वाले को ₹5000 में बेचना तथा कप्तानगंज के फेर सहन गांव में छत की ग्रिल तोड़कर ₹35,000/- व जेवरात चुराना; 03 माह पूर्व भदावल चौराहे से सफेद बुलेट चुराकर नेपाल बॉर्डर पर ₹10000/- में बेचना; तथा 23/24.10.2026 की रात थाना नगर बाजार से स्प्लेंडर प्लस (UP51AM6902) चुराना शामिल है। उक्त घटनाओं में खर्च के बाद बचे कुल ₹22,200 व जेवरात इन्हीं चोरियों के हैं, जिन्हें लेकर वे इस चोरी की बाइक बेचने की फिराक में थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01-प्रभारी निरीक्षक हरैया संजय कुमार जनपद बस्ती।
02-प्रभारी सर्विलांस शेषनाथ यादव जनपद बस्ती।
03-उ0नि0 अजय कुमार मिश्रा थाना हरैया जनपद बस्ती।
04-उ0नि0 कामेश्वर मिश्रा थाना हरैया जनपद बस्ती।
05-हे0का0 देवेश कुमार यादव, का0 संतोष यादव, किशन सिंह सर्विलांस सेल जनपद बस्ती।
06-का0 बृजेश मौर्य, राजेश मौर्या, पंकज यादव थाना हरैया जनपद बस्ती।